



सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 11 फाल्गुन, 1944 (श०)
02 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 175

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	24
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	56
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	39
(4)	कृषि विभाग	18
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	17
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	10
(7)	सहकारिता विभाग	11
कुल योग --			<u>175</u>

जल निकासी की व्यवस्था करना

*358. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र देश के सबसे प्रदूषित नगर की श्रेणी में आ गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेतिया शहर के पूर्व भाग में अवस्थित हजारों पशु मेला मैदान में कूड़ा-कचरा का भंडारण एवं खुली व संकीर्ण नालियाँ प्रदूषण का बड़ा कारण है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेतिया शहर को स्वच्छ रखने के लिये समुचित कचरा प्रबंधन एवं शहर से समुचित जल निकासी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बासगीत का पर्चा

*359. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत बखरी प्रखंड के चकचनरपथ पंचायत के सुग्गा गाँव में 235 भूमिहीनों को 2010 में ही बासगीत का पर्चा दिया गया था, परन्तु अभीतक उक्त जमीन पर पर्चधारियों का कब्जा नहीं दिलाया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पर्चधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना

*360. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद विधान सभा अन्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के जम्हौर ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 02, 05, 07, 12 एवं 13 में नल-जल योजना अपूर्ण है, जिसके कारण ग्रामीणों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों में नल-जल योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दंडाधिकारी पदस्थापित करना

*361. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्णिया अन्तर्गत प्रखंड बैसा में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, अमौर के पास ही प्रखंड बैसा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जिस कारण प्रखंड बैसा के पैक्स अध्यक्षों को काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक प्रखंड बैसा में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दाखिल-खारिज कराना

*362. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के खानपुर अंचल अन्तर्गत चतुर बहुआरा राजस्व ग्राम, थाना नम्बर 197 के भूमि का दाखिल-खारिज नहीं होने से जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमि के भू-धारियों के जमीन का दाखिल-खारिज कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*363. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अंचल का कार्यालय अति जर्जर होने के कारण अभिलेखों के विनष्ट होने का खतरा होने के साथ-साथ कर्मियों के दुर्घटना के शिकार होने का खतरा बना रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जर्जर अंचल भवन को तोड़कर नये भवनों के निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना का लाभ देने

"क"-*364. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसडा (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शिवाजीनगर प्रखंड के करियन पंचायत के चन्नापड़ती में आधी आबादी को आजतक नल-जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत के बचे आधी आबादी को नल-जल योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है। समस्तीपुर जिला अन्तर्गत शिवाजीनगर प्रखंड के पंचायत करियन अन्तर्गत विभाग द्वारा क्रियान्वित कुल 7 वाडों यथा 02, 04, 06, 07, 10, 11 एवं 12 के 1249 घरों को नल-जल योजना से जलापूर्ति उपलब्ध कराया जा रहा है।

करियन पंचायत (कुल 15 वार्ड) के अन्तर्गत करियन गाँव जिसमें 1 से 7 वार्ड आते हैं, इन 07 वार्डों में से 04 वार्ड यथा 02, 04, 06 एवं 07 में विभाग द्वारा कार्य किया गया है। चन्नापड़ती करियन गाँव का एक टोला है, जो मुख्य गाँव करियन से 1 किलो मीटर दूर अवस्थित है। इस टोला के आच्छादन हेतु मूल योजना के अतिरिक्त 1600 मी0 वितरण प्रणाली की आवश्यकता थी, जिसमें से 1200 मीटर वितरण प्रणाली विछाकर, टोला में अवस्थित कुल 80 घर के विरुद्ध 55 घरों को जलापूर्ति नियमित रूप से दी जा रही है। शेष 25 घरों के आच्छादन का कार्य प्रगति पर है। जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

पंचायत के अन्य 08 वाडों यथा 01, 03, 05, 08, 09, 13, 14 एवं 15 में नल-जल योजना का कार्य पंचायती राज विभाग से कराया गया है। इससे संबंधित उत्तर के लिये इस कार्यालय के पत्रांक 304, दिनांक 20 फरवरी, 2023 द्वारा पंचायती राज विभाग को प्रश्न स्थानान्तरित की गयी है।

नोट--"क"-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से पंचायती राज विभाग में स्थानान्तरित।

अंचलाधिकारी को पदस्थापित करना

*365. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा अंचल में 20 पंचायत पड़ता है, जहाँ करीब दो वर्षों से अंचलाधिकारी का पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी के नहीं रहने और बढ़ा अंचल होने के कारण आमजनता को जमीन संबंधित कार्य कराने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा अंचल में अंचलाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*366. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी एवं जयनगर प्रखंड में क्रमशः 15-15 पंचायत खजौली प्रखंड में सात पंचायतों में स्थल चयन कर पाँच-पाँच चापाकल लगाने हेतु तत्कालीन खजौली विधायक द्वारा मुख्यमंत्री चापाकल योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 11 अगस्त, 2015 को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मधुबनी को अनुशंसा किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वित्तीय वर्ष में बासोपट्टी प्रखंड में चापाकल लगाया गया, परन्तु अभी तक जयनगर एवं खजौली प्रखंडों में अनुशंसित चापाकल लगाने का कार्य पूरा नहीं किया गया है, जबकि सम्पूर्ण राशि की निकासी कर ली गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिना चापाकल लगाये राशि निकासी कर गबन करने वाले संवेदक एवं विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई एवं जयनगर, खजौली प्रखंडों में चापाकल लगाने का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(i) प्रखंड	कुल अनुशंसित चापाकलों की संख्या	निर्माण कराये गये चापाकलों की संख्या
बासोपट्टी	75 अदद	62 अदद
खजौली	35 अदद	24 अदद
जयनगर	75 अदद	16 अदद
कुल	185 अदद	102 अदद

(ii) कुल एकरारित राशि 59,93,000/- रुपये मात्र के विरुद्ध राशि-35,86,287/- रुपये मात्र का धुगतान किया गया है।

(iii) शेष बचे कार्यों को पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक-6ए/वि01-1060/2017-2358 पटना, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के द्वारा संवेदक को डिफॉल्टर घोषित करते हुए अगले निविदा में भाग लेने से वॉचत किया जा चुका है। प्रमंडलीय कार्यालय आदेश संख्या 58-सह-पठित ज्ञापांक 347, दिनांक 17 फरवरी, 2023 के द्वारा एकरारनामा विखंडित किया गया है। शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति देना

*367. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अंतर्गत नगर पंचायत परबत्ता में पी0डब्ल्यू0डी0 सरकारी यद्दा से परबत्ता थाना होते हुए हॉस्पिटल गेट के सामने तक नाला निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत परबत्ता द्वारा परबत्ता कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रखंड बेगूसराय-खगड़िया, बेगूसराय को पत्रांक 25, दिनांक 18 जुलाई, 2022 योजना मद-राज्य योजना, वर्ष 2022-23 के माध्यम से भेजा गया है, जो अबतक लॉबित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कार्य के प्राक्कलन को तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विधिसम्मत कारवाई करने

*368. श्री युसुफ सलाह उद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषी प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में कार्य की गुणवत्ता खराब होने के कारण नल-जल-योजना का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कर कर दोषी के खिलाफ विधिसम्मत कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एस0एफ0सी0 गोदाम निर्माण करना

*369. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अंतर्गत हिसुआ विधान सभा क्षेत्र में (हिसुआ, नरहट एवं अकबरपुर) तीन प्रखंड है जिससे एस0एफ0सी0 का अपना गोदाम नहीं है, जिसके कारण किसानों से धान की अधिप्राप्ति प्रभावित होता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि उक्त प्रखंड में भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में एस0एफ0सी0 गोदाम का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण करना

*370. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवार नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नं०-01 में एन0एच0-19 स्थित त्रिपाठी मास्टर साहब के घर से मानुपुर बाजार तक की सड़क वर्जर अवस्था में है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि सड़क के दोनों ओर घनी आबादी आवासित है, जहाँ पक्का नाला नहीं रहने के कारण घरों से निकलने वाले नालियों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाने से सालों भर जल-जमाव रहता है, जिससे मुहल्लावासियों के साथ-साथ राहगीरों को भी आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण नाला के साथ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

समस्या के समाधान

*371. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत पिपरासी अंचल में जमीन संबंधी दस्तावेजों के कंप्यूटराइज्ड करने के क्रम में हजारों रैयतों के जमाबंदी में खाता शून्य खेसरा शून्य कर दिया गया है तथा बहुत से लोगों की जमाबंदी में पिता का नाम तथा खेसरा भी गलत दर्ज कर दिया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि खाता, खेसरा, पिता आदि का नाम सुधारने के लिए ऑनलाइन परिमार्जन को आवेदन हजारों किसानों ने दिया है, जो लंबे समय से लंबित है, भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण लोग सरकारी लाभ से वंचित हो रहे हैं ;
- (3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार, इसकी जांच कराकर रैयतों की समस्या के समाधान का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*372. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कूडनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व से निर्मित सड़क पर नवनिर्माण नहीं कराया जाना है, परन्तु मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 42 में श्री कृष्णा श्याम पथ में पूर्व से निर्मित सड़क पर ही नये सड़क का निर्माण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार इसके लिये दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुल बनाना

*373 श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत नगर परिषद्, बरौली के वार्ड संख्या 19 में तेतर बाबा से रेलवे लाइन सदली तक जाने वाले पथ में बना पुल विगत तीन वर्षों से क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पुल को कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*374. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय दैनिक हिन्दी सामाचार-पत्र में दिनांक 1 फरवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "बाजार में 25 से 30 प्रतिशत तक बिक रहा सामान नकली" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आर्थेटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर एसोसिएशन और क्रिमिल द्वारा जारी स्टेट ऑफ काउंटर फ्रीडिंग इन इंडिया, 2022 के रिपोर्ट के अनुसार देश में नकली सामान बिकने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर है ;

(2) क्या बात सही है कि राज्य में मोटर पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, खाने का तेल, बेबीकेयर, दवा सहित अनेक ब्राण्डेड कम्पनी के नकली उत्पाद बिना रोक-टोक के धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, परन्तु इनके विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विशेष अभियान चला कर नकली सामान बेचने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

तालाब का सौंदर्यीकरण करना

*375. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत जंदाहा नगर पंचायत के अरनिया में समता कॉलेज के पास एक पुराना तालाब है, जो लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका सौंदर्यीकरण नहीं कराये जाने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तालाब का सौंदर्यीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*376. श्री कृष्ण कुमार मंद (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत धान अधिप्राप्ति में पैक्सों व्यापार मंडल को निकट के राईस मिलरों से संबंध करने का प्रावधान है जिसकी अनदेखी की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत कुल 33 राईस मिल निर्बाधित होने के बावजूद केवल 5 राईस मिलों से ही पैक्सों व्यापार मंडलों को निर्बाधित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच करके दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*377. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर, नारायणपुर और खरीक प्रखंड स्थित अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों की कमी के कारण म्यूटेशन एवं परिमार्जन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों की कमी को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की व्यवस्था

*378. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के नौतन प्रखंड के छर्की बाँध के पास तथा बैरिया प्रखंड के लौकरिया बाँध के पास घनी आबादी विस्थापित होकर निवास करती है, जहाँ पर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु एक भी चापाकल स्थापित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिला के नौतन प्रखंड के छर्की बाँध के पास में लगभग 25 घर विस्थापित निवासी हैं जहाँ 1 अदद सिंगूर चापाकल मौजूद है । जो चालू अवस्था में है । इसके अतिरिक्त वर्तमान में विस्थापित निवासियों द्वारा अपने निजी चापाकल से भी पानी का उपयोग किया जा रहा है ।

विदित हो कि बैरिया प्रखंड के लौकरिया बाँध के पास लगभग 20 घर विस्थापित निवासी हैं, जहाँ 1 अदद IM-II चापाकल अवस्थित है, जो बंद था । इसे मरम्ती कर चालू कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त वर्तमान में विस्थापित निवासियों द्वारा अपने निजी चापाकल से भी पानी का उपयोग किया जा रहा है ।

भवन का जीर्णोद्धार

*379. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के ग्राम-कंजीयार में पशु चिकित्सालय है, जिसका भवन जीर्ण-शीर्ण है एवं इसमें चिकित्सकों की उपस्थिति नगण्य है, जिसके कारण पशुपालकों को पशु इलाज एवं स्पर्शाघात में मृत पशुओं के पोस्टमॉर्टम में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अस्पताल के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार एवं चिकित्सकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

तालाब का जीर्णोद्धार कराना

*380. श्री राम रतन सिंह (क्षेत्र संख्या-143 तोघड़ा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी नगर परिषद् क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष पुराना हुलरूआ धाम के नाम से प्रसिद्ध तालाब है, जो बहुत ही गंदा एवं जर्जर स्थिति में है, जिससे छठ पर्व करने वाले हजारों श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तालाब का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण कराना

*381. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरु)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र में पूर्वी रामकृष्णा नगर (न्यू बाईपास) के वार्ड नम्बर 30 में रामकृष्णा धाना के पास गली संख्या 9 में करीब 200 घर हैं, जिसमें नाला नहीं रहने के कारण पानी सड़क पर जम जाती है, जिससे सड़क जर्जर होने के कारण आमजनता को आने-जाने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गली का सड़क एवं नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*382. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत कौआकोल प्रखंड के अंतर्गत खरसारी पैक्स में वर्ष 2019-20, 2021-22 धान/गेहूँ के अधिप्राप्ति में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा घोर अनियमितता बरती गयी है एवं अभीतक किसानों का राशि भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच करके पैक्स अध्यक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुये किसानों को राशि का कबतक भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति कराना

*383. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्णियाँ अन्तर्गत प्रखंड अमौर में राजस्व अधिकारी की नियुक्ति अभीतक नहीं हुई है, जिसके कारण उक्त प्रखंड में राजस्व से संबंधित मामलों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रखंड अमौर में राजस्व अधिकारी के नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खुटाबंदी करवाना

*384. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा नालंदा के पत्रांक 4807, दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 के द्वारा अंचलाधिकारी, एकंगरसराय को मौजा-पेन्दापुर दनियावां के प्लॉट नं० 1410, रकबा 6.25 डी बासयी-तेईसी पर्दन के दक्षिण भाग के जमीन का खुटाबंदी कर जिला के सूचित करने का आदेश निर्गत किया गया था, परन्तु इस संबंध में अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार मौजा पेन्दापुर दनियावां के प्लॉट नं० 1410, रकबा, 6.25 डी०जमीन का कबतक खुटाबंदी करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

वाडों में नये सिरे से लाइट लगाना

*385. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अंतर्गत नवनिर्मित वाडें एवं पुराने में लाइट की व्यवस्था नहीं रहने के कारण आमजनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सभी वाडों में नये सिरे से लाइट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिकार दिलाना

*386. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन एवं बैरिया प्रखंड में सामाजिक आर्थिक जनगणना में गड़बड़ियां होने के कारण लगभग 65 प्रतिशत लोग खाद्य सुरक्षा अधिकार से अभीतक वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में आर्थिक, सामाजिक जनगणना में सुधार कर वास्तविक गरीब एवं असहाय लाभुकों को कबतक खाद्य सुरक्षा अधिकार दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*387. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड लौरिया एवं योगापट्टी में खाद्य सामग्री के वितरक (डीलरों) की संख्या कम होने से आमजनों को खाद्य सामग्री लेने में परेशानी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डीलरों की कमी के बावजूद नये डीलरों की नियुक्ति नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों के आमजनों को ससमय खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु नये डीलरों की नियुक्ति पर विचार करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*388. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के मोतीझील के उत्तर एवं दक्षिण भाग में स्थित है तथा पुराना सर्वे नक्शा के अनुसार मठिया, छतौनी, खुसबू नगर, नकछेद टोला, गांधी नगर, हेनरी बाजार, चांदमारी, अगरवा मुहल्ला, नुनिया टोली, वार्ड 38 से मोतीझील तक जोड़ने वाला मुख्य नाला सहित निगम क्षेत्र के लगभग 65 छोटे-बड़े मुहल्ले का जल निकासी मोतीझील में जाता है, जो अतिक्रमण है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मोतीझील का विकास कार्य प्रारम्भ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो नगर निगम के पुराना सर्वे नक्शा के अनुसार अतिक्रमित नाला को चिन्हित कर अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये नमामि गंगे योजना अन्तर्गत निर्माण होने वाली कार्य योजना को योजनाबद्ध ढंग से कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना उपलब्ध कराना

*389. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के काराकाट प्रखंड में देव ग्राम अवस्थित है, जिसके वार्ड संख्या 05 पूरब टोला में ग्रामीण सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल-जल से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त टोलों में उक्त योजना से कबतक पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*390. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त है, पर नगर विकास एवं आवास विभाग से सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण आम-जनता को शादी-विवाह करने में कठिनाई होती है, जबकि उक्त नगर पंचायत की जनसंख्या लगभग 20,000 है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दिनारा नगर पंचायत में शादी-विवाह के लिये सामुदायिक भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुल का निर्माण कराना

*391. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र के बीचोबीच दरधा नदी गुजरती है, जिसके कारण वार्ड नं० 32 जाफरगंज जहाँ बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है, जो नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है एवं नदी के पश्चिमी किनारे पर वार्ड नं० 19 बाजार है, बरसात के दिनों में पुल नहीं रहने के कारण आमलोगों को पढ़ाई, दबाई एवं बाजार जाने में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दरधा नदी पर फुटब्रिज पुल का कबतक निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना

*392. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुवन)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मधुवन प्रखंड के ग्राम + पोस्ट-कोडिया, धाना-मधुवन में धाना नम्बर 38, खाता संख्या 02, खेसरा संख्या 1255 एवं 1258, कुल रकबा 32 एकड़ जमीन मत्स्य विभाग के जलकर की जमीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन कई वर्षों से सुखा पड़ा हुआ है, जिसपर स्थानीय दबंग द्वारा कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*393. श्री कृष्ण कुमार मंडू (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम अन्तर्गत पाटलीपुत्र अंचल के वार्ड नम्बर 2, वीर बसावन सिंह नगर में सड़क एवं नाला निर्माण की निविदा वर्ष 2022 में होने के बावजूद उक्त सड़क एवं नाले का निर्माण आजतक शुरू नहीं हो सका है, जिसके कारण मोहल्ले के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क एवं नाले का कबतक निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त, कराकर आवागमन सुचारू कराना

*394. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड नम्बर 19 स्थित गौरियमठ मंदिर से यारपुर बंद रेलवे गुमटी तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित कर लिये जाने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आमजनता सहित दयानंद बालक एवं बालिका विद्यालय के छात्र-छात्राओं को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराकर आवागमन सुचारू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भरपाई करना

*395. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 15 जनवरी, 2023 तक 25 लाख हेक्टेयर रकबा में गेहूँ बुआई का सरकार द्वारा तय लक्ष्य के अनुपात में साधन के अभाव में तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कम बुआई हुई है, यदि हाँ, तो सरकार गेहूँ बुआई का लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण कृषकों को हुई हानि की भरपाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाइट लगवाना

*396. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटौरिया (अ०ज०ज०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत नगर पंचायत बौसी बाजार में स्ट्रीट लाइट एवं बौसी चौराहा पर हाई मास्क लाइट नहीं रहने से व्यापारियों के साथ-साथ आमजनों को रात्रि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार बौसी नगर पंचायत बाजार में स्ट्रीट लाइट एवं चौराहा पर हाई मास्क लाइट कबतक लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*397. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत वाजीरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत केनार पहाड़पुर के टोटही महादलित टोला, पतुहला महादलित टोला, रुई महादलित टोला में हर घर नल-जल के तहत अभीतक कोई कार्य नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महादलित टोला में जलापूर्ति कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण

*398. श्री अर्चमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अजा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत रानीगंज के वार्ड नम्बर 17 सहित अन्य सभी वार्डों में बरसात के पानी की निकासी के लिये नाला निर्माण नहीं किया गया है, जिससे बरसात होते ही नगर पंचायत में जल-जमाव हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत, रानीगंज के सभी वार्डों में बरसात के पानी की निकासी के लिये नाला निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराना

*399. श्री शम्भू नाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रह्मपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत अंचल सिमरी के मौजा मिश्रवलिया, थाना नम्बर 138, खाता 36, खेसरा 79/57 एवं 62, रकबा 65 डिसमिल पर किसान संत कुमार सिंह, राजेन्द्र सिंह वगै०, ग्राम-छोटका सिंघनपुर के पक्ष में दो वर्ष पूर्व भूमि सुधार, उप-समाहर्ता, डुमराँव द्वारा आदेश पारित करने तथा अंचल अमीन, सिमरी द्वारा एक वर्ष पूर्व किसान के हक में मापी प्रतिवेदन देने एवं जमीन का सभी कागजात किसानों के पक्ष में रहने के पश्चात् भी वहाँ के बाहुवली पारस सिंह, पिता-मोतीराज सिंह, सा0-रमधनपुर द्वारा लम्बे समय से अवैध कब्जा कर रखा है, पीड़ित किसान परिवार द्वारा एक वर्ष पूर्व जिलाधिकारी, बक्सर एवं अंचलाधिकारी सिमरी तथा थाना सिमरी के समक्ष आवेदन देने एवं कई बार गुहार लगाने के बाद भी अबतक किसानों को जमीन का कब्जा नहीं दिलाया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन को कबतक अवैध कब्जा से मुक्त कराकर पीड़ित किसान को जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*400. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत चिरैया प्रखंड के परेवा पंचायत के परेवा कृषि फार्म की चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों के फार्म में प्रवेश कर जाने से फसल बर्बाद हो जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कृषि फार्म की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मत कराना

*401. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट अंचल के ग्राम-बलौर में बागमती नदी से सिंचाई हेतु स्लूईस गेट का निर्माण विगत 55 वर्षों पहले कराया गया था जिसका मरम्मतकरण नहीं कराने से सिंचाई का काम विगत 15 वर्षों से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिंचाई बंद होने से नदी से तरफ कुछ लोगों द्वारा जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसे खाली करने हेतु समाहर्ता, मुजफ्फरपुर ने अपने कार्यालय ज्ञापक 547/भू0मुज0, दिनांक 9 फरवरी, 2019 एवं पत्रांक 823, दिनांक 24 फरवरी, 2020 के द्वारा कार्रवाई करने हेतु आदेश दिया था, परन्तु अभीतक अंचलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिक्रमित भूमि को खाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आधुनिक बस टर्मिनल निर्माण कराना

*402. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय से प्रत्येक दिन लगभग 500 बसों का परिचालन प्रदेश के अंदर एवं बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल तक किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है पूर्णियाँ जिला मुख्यालय में आधुनिक बस टर्मिनल नहीं रहने के कारण बस संचालक एवं यात्री को काफी कठिनाई होती है, साथ ही बस को शहर के विभिन्न स्थानों पर खड़ा कर संचालित करने से स्थानीय नागरिक को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय में आधुनिक बस टर्मिनल निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा वर्ष 2020 में दिया गया था, परंतु विभागीय अधिकारी एवं जिला प्रशासन के लापरवाही से अबतक आधुनिक बस टर्मिनल निर्माण कार्य लंबित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में पूर्णियाँ शहर को सुंदर स्वच्छ एवं बस संचालक सहित यात्री की सुविधा के लिए पूर्णियाँ में आधुनिक बस टर्मिनल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*403: श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उत्तरी भाग के जमीन का अतिक्रमण हो जाने एवं चहारदीवारी नहीं होने के कारण परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा तथा आवारा पशुओं का बसेरा बना रहता है जिससे आमजनों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केंद्र के उत्तरी भाग के जमीन को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराते हुए चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रासायनिक खाद्य मुहैया कराना

*404. श्रीमती कविता देवी (क्षेत्र संख्या-69 कोढ़ा (अ0जा0))--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र में रासायनिक खाद्य की काफी किल्लत रहने के कारण किसानों को खाद्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसानों को रासायनिक खाद्य मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्किंग की व्यवस्था

*405. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज विधान सभा क्षेत्र के बहादुरगंज बाजार में वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहने के कारण नागरिकों, गाड़ियों यत्र-तत्र पार्क करनी पड़ती है, जिस कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, तथा गाड़ी चोरी की घटनाएं बढ़ी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजार में महत्वपूर्ण स्थानों पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

विशेष प्रबंध करना

*406. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर, रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर जिला सहित बिहार के दर्जनों जिला के लोग खान-पान में अरवा चावल का उपयोग करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिला में अरवा चावल खाने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अरवा चावल खाने वाले लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में कैमूर, रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर जिलों को उसना चावल के अतिरिक्त अरवा चावल की मिलिंग के लिए पैक्स द्वारा संचालित अरवा चावल मिलों से अरवा चावल तैयार करने की अनुमति दी गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य के 6 जिलों में अधिप्राप्ति धान के समतुल्य अरवा चावल तैयार करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है साथ ही राज्य के 12 जिलों में उसना एवं अरवा दोनों चावल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित है।

(3) कौडिका (2) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जाँच करना

*407. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ) जा०)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है बेतिया जिलान्तर्गत रामनगर नगर परिषद् में सविद्या पर आधारित कार्य करने का अधिकार अनुज्ञापित पत्रयुक्त आम आदमी को है, परन्तु रामनगर नगर परिषद् में इसकी अनदेखी में कार्य किया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

बासगीत पर्चा देना

*408. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखण्ड केयाल पंचायत के आजाद नगर, पक्का मठ, अंधरांचक एवं बहैलिया वीगहा में महादलित परिवार के कई दशक के खाता नंबर-544, प्लॉट नंबर-7151 में बसे हैं परन्तु अभीतक बासगीत पर्चा नहीं मिला है जिसके कारण सरकारी लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गांवों के महादलित परिवार को बासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*409. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड एवं रहिका प्रखंड में एस0एफ0सी0 (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम से जन-वितरण प्रणाली दुकानदारों को जो खाद्यान्न को बोरा दिया जाता है वह बिना तौले दिया जाता है जिसके कारण उसमें कम अनाज रहता है, यदि हाँ, तो सरकार ऑनलाइन तौल की व्यवस्था कर अनाज देने की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ पहुँचाना

*410. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी विधान सभा क्षेत्र के आमस, शेरघाटी एवं डोभी प्रखंडों में "हर घर नल-जल योजना" के तहत लोगों के घरों में पानी पहुँचाया गया है परंतु विद्युत् आपूर्ति बाधित होने के समय उक्त योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्युत् बाधित होने की स्थिति में अन्य वैकल्पिक माध्यम से लोगों के घरों में उक्त योजना का लाभ पहुँचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी क्षेत्र के आमस, शेरघाटी एवं डोभी प्रखंडों में "हर घर नल-जल योजना" के तहत लोगों के घरों में पेय जलापूर्ति की जा रही है। योजना अन्तर्गत स्टेजिंग का प्रावधान है जिसके तहत स्टेजिंग के ऊपर रखे गये सिनटेक्स टैंक में जल संचयन किया जाता है तत्पश्चात घरों में स्टेजिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है। इस प्रकार जब भी बिजली की आपूर्ति होती है तो स्टेजिंग के ऊपर रखे गये वाटर टैंक में जल संचयन किया जाता है जिससे विद्युत् आपूर्ति बाधित रहने पर भी जलापूर्ति प्रभावित नहीं होती है। विभागीय निर्देशानुसार प्रतिदिन 6 घंटे स्टेजिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

पूर्णकालिक पदाधिकारियों के पदस्थापन

*411. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत बारूण प्रखंड में अंचल पदाधिकारी का पद एवं राजस्व पदाधिकारी का पद रिक्त होने के कारण क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपरोक्त पदों पर पूर्णकालिक पदाधिकारियों के पदस्थापन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*412. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिले के कुसेला प्रखण्ड अन्तर्गत दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में 'नल-जल योजना' से आधा-अधूरा कार्य कराकर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण उक्त पंचायत के लोग उक्त योजना के लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजनान्तर्गत कार्य को पूर्ण कराकर लोगों को 'नल-जल योजना' का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्य कराना

*413. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, सीतामढ़ी के पत्रांक 128, दिनांक 14 जून, 2021 द्वारा भेजे गये प्राक्कलन से संबंधित कार्य अबतक नहीं कराये गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार वर्षा ऋतु से पूर्व कार्यारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डॉक्टर की उपस्थिति नियमित करना

*414. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड राजपुर में पशु अस्पताल छोटा एवं जर्जर होने के कारण आमजनता को काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल में डॉक्टर भी समय पर नहीं आते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बक्सर जिला के प्रखंड राजपुर में पशु अस्पताल बड़ा बनाने के साथ डॉक्टर की उपस्थिति नियमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का पर्चा देना

*415. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड के प्रेमनगर पंचायत में खाता नं० 2342, खेसरा नं० 6726, रकबा-2 डिसमिल जमीन बिहार सरकार की है, जिसपर महादलित एवं भूमिहीन परिवार गीता देवी, पति-रमेश पासवान है, 40 वर्षों से वास कर रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस परिवार को उक्त जमीन का वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*416. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सनोखर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में 'हर घर नल-जल' योजनान्तर्गत सनोखर मुख्य सड़क से शिव मंदिर तक पेयजल का पाइप बिछा नहीं होने के कारण इस इलाके के लोगों को पेयजल नहीं मिला पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इलाके में पेयजल हेतु पाइप बिछाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड बनाना

*417. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के हाजीपुर नगर परिषद् रामशीष चौक पर प्रत्येक दिन काफी जाम रहता है जिससे आने-जाने वाले यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या उक्त चौक से हटाकर हाजीपुर में अन्य जगह बस स्टैंड बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*418. श्री मकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल अंतर्गत अनियमितता एवं लापरवाही के कारण फर्जी राशन कार्ड द्वारा वृहद् पैमाने पर खाद्यान्न आपूर्ति की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आवेदन सं० 0705011043172002563 शोभा देवी के बदले निकहत प्रवीण 0705011043172002576 अमृता देवी के बदले इसरत खातुन 0705011043172002560 मामिरा देवी के बदले पुनम कुमारी 0705011043172002610 अम्बिका देवी के बदले विभा देवी 0705011043172002565 मिरा के बदले नुसरत 070601104317200196 समियाखातुन के बदले रानी देवी 0705011043172001646 फिरोजा खातुन के बदले रानी देवी सहित 5,000 (पाँच हजार) फर्जी राशन कार्ड जो किसी के नाम का आवेदन किसी के नाम का कार्ड निर्गत कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पदाधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शेड का निर्माण

*419. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के मोहनिया अनुमंडल स्थित शमशन घाट में विद्युत् ताप शव-दाह गृह एवं शेड का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे दाह कर्म करने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल में विद्युत् ताप शव-दाह गृह एवं शेड का निर्माण कबतक, निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑपरेटर बहाल करना

*420. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र में स्थाई ऑपरेटर के अभाव में नल-जल योजना के तहत लगाये गये नल या तो समय में संचालित नहीं होता है अथवा बंद पड़े रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार अरवल नगर परिषद् क्षेत्र में नल-जल योजना को व्यवस्थित कर चलाने के लिये स्थाई ऑपरेटर बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*421. श्री सुधारकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला अंतर्गत विजय कुमार राय, सदन राय, अक्षत कुमार सहित सैकड़ों किसानों का धान एवं गोहूँ 2017 से बिहार बीज निगम लिमिटेड के अधिकारी द्वारा एमएसपी दर से अधिक देने का झासा देकर खरीददारी किया गया, जिसका कीमत 3 करोड़ 4 लाख 72 हजार 10 रुपये हैं, जिसमें 46 लाख 19 हजार 885 रु० का भुगतान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेष राशि का भुगतान किसानों को ना कर बक्सर बीज निगम के अधिकारी द्वारा गबन कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गबन करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने एवं किसानों के शेष राशि का भुगतान करने का विचार कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*422. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत अमदाबाद नगर पंचायत में पाल टोला अशोक स्वर्णकार के घर से बाजार होते हुये बाखरगंज महंथ स्थान तक की सड़क पर पानी जमा हो जाने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार पानी निकासी की समस्या के साथ-साथ सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ देना

*423. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहर के आवासहीन (कच्चा अथवा अधपक्का) परिवारों को आवास बनाने हेतु 2.20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम ने अपने पत्रांक 4087, दिनांक 18 अगस्त, 2021 के माध्यम से आवास हेतु 1980 लाभुकों की सूची सर्वेक्षण एवं नगर निगम बोर्ड से पास करके स्वीकृति हेतु विभाग को भेजी है परंतु 18 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दरभंगा में बचे हुये आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*424. श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत चकिया प्रखंड में ई-किसान भवन का निर्माण अबतक नहीं हुआ है, जिससे किसानों को प्रशिक्षण और अन्य कृषि कार्यक्रमों के आयोजन में असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ई-किसान भवन निर्माण हेतु चकिया अनुमंडल कार्यालय के सामने उद्यान विभाग की पर्याप्त खाली जमीन उपर्युक्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चकिया में ई-किसान भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पानी उपलब्ध कराना

*425. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनबरबा (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत बनमा इटहरी प्रखंड के सरवैला पंचायत के वार्ड नं० 15 मालिक टोला में नल-जल योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2017-18 में प्रारंभ हुआ था, परन्तु उक्त टोला के आवासित परिवारों को पीने लायक पानी आजतक नहीं मिला जिसके कारण शुद्ध पानी से लोग वंचित हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार सरवैला पंचायत के वार्ड नं० 15, मालिक टोला में संवेदक एवं अभियंता के द्वारा योजना में वरती गई लापरवाही की जांच कराते हुये कबतक आमजनों को पीने लायक शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अंचलाधिकारियों को प्रशिक्षित कराना

*426. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में ब्लॉक स्तर पर विधि व्यवस्था के संधारण और साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाये रखने में अंचलाधिकारी अग्रणी भूमिका निभाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि विधिव्यवस्था संधारण में अंचलाधिकारी को दण्डाधिकारी के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और शक्तियों के बारे में गृह विभाग विहार सरकार के पत्र संख्या 6618, दिनांक 24 जून, 2019 के द्वारा बीपार्ड में प्रशिक्षित किये जाने का निदेश प्राप्त है परंतु अभी तक अंचलाधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सुव्यवस्थित विधि व्यवस्था संधारण के लिये अंचलाधिकारियों को प्रशिक्षित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घरों में नल-जल पहुंचाना

*427. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत सात निश्चय हर घर को नल का जल कार्यक्रम के तहत चौसा प्रखण्ड अन्तर्गत जलीलपुर पंचायत के वार्ड नं0-07 (ईसापुर) एवं चौसा नगर पंचायत के वार्ड नं0-12 में नल-जल योजना के लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड के घरों में नल-जल पहुंचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शीतगृह बनाना

*428. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ विभिन्न फसलों की अच्छी उपज होती है, मगर शीतगृह नहीं रहने के कारण किसानों के सामने विभिन्न प्रकार में कठिनाइयाँ विद्यमान है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बखरी अनुमंडल में शीतगृह बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कठिनाइयों का समाधान कराना

*429. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखण्ड मुख्यालय में पशु चिकित्सालय के नहीं रहने की वजह से स्थानीय पशुपालकों को पशुओं के ससमय इलाज में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार खानपुर प्रखण्ड मुख्यालय में पशुओं के समुचित इलाज की व्यवस्था कराने हेतु यथाशीघ्र पशु चिकित्सालय की स्थापना करा पशुपालकों के कठिनाइयों का समाधान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फुट ओवर ब्रिज निर्माण कराना

*430. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय में भीड़ के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र पूर्णियाँ मेडिकल कॉलेज के नजदीक तथा सनौली चौक गुलाबबाग में पैदल चलने वाले को सड़क पार करने में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों भीड़ वाले स्थान पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं होने के कारण हमेशा सड़क दुर्घटना होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चिन्हित दोनों स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*431. श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया अनुमंडल में एक भी उसना राइस मिल नहीं है तथा चकिया अनुमंडल क्षेत्र के पैक्सों को 80 किलो मीटर दूर रामगढ़वा और छौरादानी के उसना राइस मिल से संबंध किया गया है, जिसके कारण पैक्सों को ट्रांसपोर्टिंग में काफी समस्या होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चकिया में उसना राइस मिल का स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौन्दर्यीकरण एवं विस्तारीकरण करना

*432. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर नगर परिषद् क्षेत्र में ललित कर्पूरी स्टेडियम के निकट स्थित समरसता स्थल रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जबकि उक्त स्थल पर बिहार के दो महापुरुषों पूर्व मुख्यमंत्री जननायक श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी एवं पूर्व रेलमंत्री बिहार विभूति श्रद्धेय ललित नारायण मिश्र जी की मूर्ति स्थापित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त समरसता स्थल का रख-रखाव, सौन्दर्यीकरण एवं विस्तारीकरण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

समाधान करना

*433. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग में आने वाले शीशम के पेड़ों में वायरस लगने के कारण इन पेड़ों की संख्या में काफी कमी हुई है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की मांग के अनुसार आपूर्ति सुलभ नहीं है और विदेशों से लकड़ी आयात कर यहाँ के लोग लकड़ी की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार शीशम में लगने वाले वाइरस से निजात हेतु अनुसंधान कार्य करके कबतक इसका समुचित समाधान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंचलाधिकारी का पदस्थापन करना

*434. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण के लौरिया प्रखण्ड में विगत एक साल से अंचलाधिकारी का पद रिक्त है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में अंचलाधिकारी के प्रभार में राजस्व पदाधिकारी (आर0ओ0) द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार लौरिया प्रखण्ड में तत्काल अंचलाधिकारी के पदस्थापन पर विचार करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करना

*435. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत एक भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र के किसानों को कृषि संबंधित कार्यों को करने तथा नई-नई कृषि तकनीकों की जानकारी का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित क्षेत्र के किसानों के सुविधा हेतु उक्त क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल खोलना

*436. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत कुल 14 पंचायत है, जिसमें करेह नदी के एक तरफ पाँच पंचायत है जहाँ प्रखंड मुख्यालय स्थित है तथा नदी के दूसरे तरफ नौ पंचायत है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि नदी के दूसरी तरफ के नौ पंचायत के लोगों को पशु संबंधी उपचार के लिए एक भी पशु अस्पताल नहीं है जिसके कारण नौ पंचायत के लोगों को पशु संबंधी उपचार के लिए नदी के पहली तरफ प्रखंड मुख्यालय स्थित पशु अस्पताल जाना पड़ता है तथा बाढ़ एवं बरसात के दिनों में चार माह रास्ता बंद रहता है, जिससे पशुओं को समय पर उपचार नहीं मिल पाता है, उपचार के अभाव में पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित दूसरी तरफ के 3 पंचायतों के लिए नये पशु अस्पताल खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हस्तांतरित करना

*437. श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत समेली प्रखंड में मौजा-चकला मौलानगर, थाना सं० 267, खाता 441, खेसरा-714 रकबा 50 डी० भूमि में पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु 1 वर्ष पूर्व स्वीकृति प्रदान की गयी परन्तु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उक्त पंचायती राज विभाग में हस्तांतरित नहीं करने के कारण उक्त योजना अधर में पड़ी हुयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को पंचायती राज विभाग में हस्तांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*438. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत हाजी जियाउर्रहमान एवं अन्य द्वारा खाता 886, खेसरा-9765 रकबा 165 एकड़ भूमि भू-दान को दान में दिया गया था, जिसे भू-माफिया द्वारा जमीन को बेचकर बहुमंजिला इमारत खड़ा कर दिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव का स्थायी निदान करना

*439. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत झंझारपुर नगर परिषद् क्षेत्र में झंझारपुर रेलवे स्टेशन के निकट जल-जमाव की समस्या का स्थायी निदान हेतु प्रश्नकर्ता के पत्रांक 8/2022, दिनांक 18 जनवरी, 2022 पर संज्ञान लेते हुये मुख्य सचिव, बिहार, पटना के तत्काल प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अपने पत्रांक 390, दिनांक 20 जनवरी, 2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया था, जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार झंझारपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या का स्थायी निदान कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना

*440. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के वार्ड नं० 17 सहित अन्य सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, जिससे शाम होते ही सभी वार्डों में अंधेरा छा जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत, रानीगंज के सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

माफ करना

*441. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नगर क्षेत्र के निवासियों से गृह कर के भुगतान में विलंब होने पर सरकार चक्रवृद्धि ब्याज वसूलती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बेसहारा परिवार के ऊपर बकाया गृह कर एवं उसके ब्याज को माफ करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना का कार्य कराना

*442. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभिव्यंजन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के झिकटिया पंचायत के

ग्राम-नारायणपुर में तथा मीरपुर पंचायत के ग्राम-मीरपुर में वार्ड नम्बर 7 जो काफी घनी आबादी गाँव होने के बावजूद गाँव में अभी तक नल-जल का कार्य नहीं हुआ है और ना ही यहां पर कोई चापाकल की व्यवस्था है जिसके कारण लोगों को पानी की काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नल-जल योजना का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

अस्पताल बनाना

*443. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या- 210 दिनारा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड अन्तर्गत गंजभरसरा रोहतास जिला का उत्तरी छोड़ पर स्थित है, पर पशु अस्पताल नहीं होने के कारण पशुपालकों को काफी दूरी तय करके पशुओं के इलाज के लिये प्रखण्ड मुख्यालय स्थित पशु अस्पताल आना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार गंजभरसरा में पशु चिकित्सालय अस्पताल बनाने का कब तक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिला अन्तर्गत गंजभरसरा में प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, गंजभरसरा संचालित है। वर्तमान में यह किराये के भवन में संचालित है। वहाँ पशु चिकित्सक कार्यरत है, जिनके द्वारा पशुओं का उचित इलाज ससमय किया जाता है।

प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, गंजभरसरा का भवन निर्माण कार्य नवार्ड की Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) के तहत प्रक्रियाधीन है।

जाँच कराना

*444. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 'जल-नल योजना' में जलापूर्ति के लिये पूर्व निर्मित पथ को तोड़कर जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन लगाने के बाद पुनः उस पथ को मरम्मत करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत कहरा प्रखण्ड के सिरादय पट्टी पंचायत के बसौना गाँव के वार्ड संख्या 09, 10 के साथ-साथ कई ऐसे कार्य स्थल में सड़क तोड़ने के बाद आज तक उस पथ का मरम्मत नहीं किया गया है तथा उक्त योजना के कार्य में भारी लापरवाही बरती गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव में सभी टूटे हुये पथ का मरम्मत करवाने सहित करायें गये कार्य की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क/नाला का निर्माण कराना

*445. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शंखपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत हिलसा नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं० 5 में प्राथमिक विद्यालय, खोरमपुर से बेलवाबाग होते हुये हिलसा चिकसौरा पथ तक सड़क एवं नाला का निर्माण आज तक नहीं कराया गया है, जिससे आमजनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क/नाला का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करने का विचार

*446. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी अमीन को कमी के कारण भूमि संबंधी विवाद के निपटारे में विलंब हो रहा है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजकीय पॉलिटिकल महाविद्यालय से लैंड सर्वेयर अमानत डिग्रीधारियों की अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर उनकी शीघ्र नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*447. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखंड के बभंगामा पंचायत में स्थापित पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर स्थिति में है तथा पशु चिकित्सकों के अभाव में पशुपालक अपने पशुओं की चिकित्सा नहीं करा पाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कराते हुये पशु चिकित्सक का पदस्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*448. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट एवं पंचदेवरी में किसानों का धान पैक्स एवं व्यापार मंडल से क्रय नहीं किये जाने के कारण किसान धान को बिचौलियों के हाथ बेचने को विवश हैं, यदि हाँ, तो कबतक सरकार वर्णित तथ्यों की जांच कराकर किसानों का धान क्रय कराने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

पथ का निर्माण

*449. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम, कंकड़बाग अंचल के कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित अभियंताओं के द्वारा विभागीय आदेशों/न्यायादेशों का अनुपालन नहीं करने के उपरान्त विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3065, दिनांक 3 नवम्बर, 2022 के द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को जांच का आदेश दिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई करते हुये विभागीय आदेश/न्यायादेश में वर्णित पटना नगर निगम के वार्ड नं० 30 में पथों का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चालू करवाना

*450. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी के ग्राम पंचायत बथानी में ग्राम-ओठनपुरा में हर घर नल-जल योजना के तहत संवेदक के द्वारा केवल बोरिंग का कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है जिस कारण से ग्रामीणों को पानी के बिना काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार संवेदक पर कार्रवाई करते हुये कार्य को पूरा कराकर नल-जल चालू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*451. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी अंचल के चानपुरपट्टी रजवा महन खाता नं० 126, खेसरा नं० 33 में स्थित पोखर जो सैरात की जमीन है, के चारों तरफ से अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है तथा सैरात की अतिक्रमित भूमि पर मकान भी बना लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल राजस्व शाखा बेनीपट्टी के पत्रांक ZL1-1/18456/ रा०, बेनीपट्टी, दिनांक 24 जून, 2019 के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधुबनी ने जांचोपरांत अपने ज्ञापक 907, दिनांक 3 सितम्बर, 2020 द्वारा अंचलाधिकारी, बेनीपट्टी को उक्त पोखरा जो सैरात की जमीन है, को सीमांकन करवाकर अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया था परंतु आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधुबनी का पत्रांक 6, दिनांक 3 जनवरी, 2023 द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी, बेनीपट्टी को पत्र दी गई है । अतिक्रमण मुक्त कराने की शक्ति समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी को प्रदत्त है ।

(3) बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी को शक्ति प्रदत्त है एवं उनके द्वारा अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रियानुसार की जायेगी ।

पथ निर्माण कराना

*452. श्री मनोज मॉजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत, गडहनी वार्ड संख्या 4 अंतर्गत इस्लामगंज के किसी भी गली में पानी की निकासी की सुविधा नहीं है तथा इस्लामगंज चौक से इस्लामगंज शमशान तक जाने का रास्ता जर्जर हो चुका है एवं दोनों तरफ नाला नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी सड़कों पर बहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गडहनी ब्लॉक रोड से मी० असलम के घर एवं मदरसा होते हुये चनामस नदी तक नाला निर्माण एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसके कारण रास्ता संकीर्ण हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ में नाला निर्माण एवं पी०सी०सी० निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय खोलना

*453. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संधान विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सुलतानगंज प्रखंड में अतिपिछड़ा गांव मंझली में पशु चिकित्सालय नहीं होने से पशुपालकों को पशुओं के इलाज में बहुत परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गांव में पशु चिकित्सालय खोलने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज प्रखंड स्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय से मंझली गांव की दूरी लगभग 6 कि०मी० है । मंझली गांव में बड़े पशुओं की संख्या 2500 है ।

जबकि नये चिकित्सालय खोलने हेतु विभागीय मापदंड के अनुसार निकटतम पशु चिकित्सालय की दूरी 7 कि०मी० से अधिक एवं पशुओं की संख्या 1200 से अधिक होना चाहिये । सात निश्चय-2 के अन्तर्गत पशुपालकों के द्वारा (डोर स्टेप) पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है ।

पर्चा प्रदान करना

*454. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत जियामारी महानन्दा नदी के कटाव से विस्थापित होकर 150 परिवार 2014 में जमाईपाड़ा में सीज वाली भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं लेकिन उन्हें अभीतक वासगीत पर्चा नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार उन विस्थापितों को वासगीत पर्चा प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी की सप्लाई कराना

*455. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत शाहपुर प्रखंड के सुहिया पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 8 तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बोरिंग की गई है, लेकिन अभीतक उक्त वार्डों में पानी पहुँचाने के लिये घर में पाईप का कनेक्शन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक घर-घर पाईप बिछाकर पानी की सप्लाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*456. डॉ० सी० एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "सी०एम० के हस्तक्षेप के बाद भी नल-जल चालू नहीं हुआ" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत, मढ़ौरा के 16 वार्डों में 6 करोड़ से अधिक की राशि देने के बाद सिर्फ दो वार्डों में पूर्ण काम हुआ है, शेष कार्य हेतु जुलाई, 2022 में माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिकायत करने के बाद भी आजतक शेष वार्डों में नल-जल योजना को चालू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्डों में शेष बचे हुये नल-जल योजना के कार्यों को कबतक पूर्णतः चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विधिसम्मत कार्रवाई करने

*457. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर स्थित पशु चिकित्सालय जहाँ सिमरी, बख्तियारपुर सहित दूर-दराज से पशुपालक किसान अपने पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस जिनकी संख्या बहुतायत में है के ईलाज एवं चिकित्सकीय परामर्श हेतु आते हैं परन्तु वहाँ पदस्थापित पशु चिकित्सकों एवं कर्मियों के लापरवाही के कारण पशुपालकों को सरकार से प्राप्त सुविधायें जैसे दवा इत्यादि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो कबतक सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी चिकित्सकों एवं कर्मियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर स्थित पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक डॉ० सुमित कुमार पदस्थापित है। पशु चिकित्सक द्वारा उक्त पशु चिकित्सालय में नियमित रूप से चिकित्सा कार्य किया जा रहा है तथा पशुओं में पाये जाने वाले विभिन्न रोगों से बचाव एवं रोकथाम हेतु पशुपालक किसानों को परामर्शित भी करते हैं। साथ ही सरकार से प्राप्त सुविधाएँ जैसे 21 प्रकार के पशु दवा, पशुओं में पाये जाने वाले संक्रमण रोग निवंत्रण टीकाकरण एवं लम्बी त्वचा रोग संबंधी मूलभूत सुविधा पशुपालक किसानों को उपलब्ध करायी जाती है।

कार्रवाई करना

*458. **डॉ० निक्की हेन्डम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))**--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड में तरगच्छा पंचायत के वार्ड नम्बर 4 में आमावरन, वार्ड नम्बर 5 में बाबूडीह, वार्ड नम्बर 6 में कुरुमटांड एवं वार्ड नम्बर 7 के सौरी गाँव में हर घर नल-जल योजना अन्तर्गत अभी तक नल-जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलने से उक्त वार्ड के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में नल-जल योजना का लाभ लोगों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक। बाँका जिला अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड में तरगच्छा पंचायत के वार्ड नम्बर 4 में तरगच्छा पंडित टोला के 37 घरों में, वार्ड नम्बर 5 के मूचनावरण के 107 घरों में, वार्ड नम्बर 6 के हेटमेगाजोर में 157 घरों में एवं वार्ड नम्बर 7 के तुलसीवरण गाँव के 153 घरों में हर घर नल-जल योजना द्वारा जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है।

वार्ड नम्बर 4 में आमावरन, वार्ड नम्बर 5 में बाबूडीह, वार्ड नम्बर 6 में कुरुमटांड एवं वार्ड नम्बर 7 के सौरी गाँव जो कि मूल स्कीम से लगभग दो से ढाई किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है जो कि छूटे हुये टोलों में चिह्नित है। जिसके कार्यान्वयन हेतु सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण होने के उपरान्त प्राक्कलन तैयार कर कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा।

सरकारी सम्पत्ति को मुक्त करना

*459. **श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)**--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी शहर में स्थित हनुमान सुगर मिल एवं इससे संबंध रामाकाष्ट, बैरिया फुलवारी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पिछले 25 वर्षों से बंद पड़ा है, जिसकी परिसम्पत्ति फैंक्ट्री के अगल-बगल एवं मोतिहारी अंचल में सैकड़ों एकड़ भूमि स्थित है, जिसपर सिलिंग ऐक्ट का केंस भी चल रहा है जो भूमि अधिकांशतः राज्य सरकार के अधिनस्त बेतिया राज, खास महाल, गैर-मजरूआ, मालिक गैर-मजरूआ, है जिसपर अवैध कब्जाधारियों द्वारा बिना निर्बोधित या सरकारी अधिसूचना के अपना-अपना घर बना लिया गया है, जिस कारण से सरकारी राजस्व की हानी हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो चीनी मिल की परिसम्पत्ति में कितना नीज मालिक है और कितना सरकार की है तथा किन भूमियों पर सिलिंग लगाया है, इसकी अधिसूचना जारी कर अवैध कब्जाधारियों से सरकारी सम्पत्ति को मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

*460. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक राशन कार्ड धारियों को राशन डीलर के माध्यम से 03 किलो ग्राम चावल एवं 02 किलो ग्राम गेहूँ प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत कुछ महीनों से गेहूँ का आवंटन प्रति यूनिट 01 किलो ग्राम कर दिया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं के हित में प्रति यूनिट 02 किलो ग्राम गेहूँ देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक राशन कार्डधारी को 05 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

(2) स्वीकारात्मक । भारत सरकार के दिनांक 13 मई, 2022 के पत्र के द्वारा बिहार सहित 12 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित सभी लाभुकों हेतु माह जून, 2022 से मार्च, 2023 तक के खाद्यान्न के आवंटन में किये गये संशोधन के आलोक में प्रत्येक लाभुक को पूर्व में उपलब्ध कराये जा रहे 02 किलो ग्राम गेहूँ एवं 03 किलो ग्राम चावल की मात्रा में संशोधन करते हुए 01 किलो ग्राम गेहूँ एवं 04 किलो ग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(3) भविष्य में भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटन में संशोधन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतिक्रमण मुक्त करना

*461. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के ईशुआपुर अंचल के डोइला से गोविन्दपुर 15 किलो मीटर लम्बी नाला के अन्तर्गत ग्राम-सिसवा में कुछ लोगों द्वारा जमीन अतिक्रमण कर लिए गए हैं जिसके कारण बरसात के समय जल निकासी नहीं होने से लाखों हेक्टेयर के जमीन में 25 वर्ष से कृषि कार्य बाधित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस एवं ऑटो स्टैंड बनाना

*462. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत केसरिया प्रखंड के हुसैनी में बस एवं ऑटो स्टैंड हेतु जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद बस एवं ऑटो स्टैंड का निर्माण नहीं किये जाने से जाम की समस्या हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक हुसैनी में बस एवं ऑटो स्टैंड बनाये जाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर के ट्रस्ट के नाम वापस करना

*463. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-51 सिकटी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है अररिया जिलान्तर्गत कुर्साकांटा प्रखंड के सुन्दरी शिव मंदिर का जमीन जो दाताओं के द्वारा दान में दिया गया था इस जमीन को 1954 के सर्वे में स्वर्गीय महंत श्री राम प्रसाद गिरी के द्वारा अपने नाम से जमीन का खतियान बना लिया गया है और उस खतियान में भी महंत राम प्रसाद गिरी को पूजारी ही लिखा हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस जमीन को पुनः मंदिर के ट्रस्ट के नाम वापस करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन मुक्त करना

*464. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अनु० जाति, जन-जाति के 1,17,380 (एक लाख, सतरह हजार, तीन सौ अस्सी) भूमिहिनों को अंचल द्वारा प्राप्त पर्चा के अनुरूप सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। जिसे दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर रखा गया है। जिस कारण पर्चाधारी सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने को विवश है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका अंचल के चन्दनबारा, करसहिया, में लगभग 50 गरीबों की पर्चा वाली जमीन को दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है पीड़ित पक्ष द्वारा वर्षों से अंचल/लोक शिकायत का चक्कर लगाते थक गए हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्वी चम्पारण सहित राज्य के सभी जिलों में 1,17,380 (एक लाख, सतरह हजार, तीन सौ अस्सी) पर्चा धारियों को दबंग लोगों से विशेष अभियान के तहत जमीन मुक्त कराकर दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कृषि पदाधिकारी की पदस्थापना करना

*465. श्री शकील अहमद खॉं (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत डंडखोरा प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद पिछले 2 वर्षों से रिक्त है, जिसके कारण किसानों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी की पदस्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि संबंधी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करना

*466. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के राजपुर पंचायत में कृषि फार्म की जमीन बेकार एवं बिना बाठंडी वाल के पड़ी हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसान हित में कबतक राजपुर कृषि फार्म का बाठंडी वाल कराते हुए वहां कृषि संबंधी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बिस्कोमान भवन स्थापित करना

*467. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड में बिस्कोमान भवन नहीं होने के कारण किसानों को खाद्य एवं बीज लेने में परेशानी होती है, जबकि बरियारपुर में पूर्व में बिस्कोमान भवन की शाखा स्थापित थी, यदि हाँ, तो सरकार बरियारपुर में बिस्कोमान भवन स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनवाना

*468. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखण्ड एवं रहिको प्रखंड के गरीब भूमिहीन जनता राशन कार्ड के अभाव में राशन से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में राशन कार्ड से वंचित गरीबों की जाँच कराकर राशन कार्ड कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व गाँव बनाना

*469. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव जिला के कहलगाँव प्रखंड में 2011 जनगणना के सर्वे के पहले राजस्व गाँव अनादिपुर पंचायत श्यामपुर का हिस्सा हुआ करता था तथा गंगलदई, बैजू टोला अनादिपुर राजस्व गाँव का ही हिस्सा हुआ करता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2011 जनगणना के बाद अनादिपुर राजस्व गाँव को इसे भूलवश दूसरे गाँव में जोड़ दिया गया है, जिससे उक्त राजस्व गाँव का अस्तित्व समाप्त हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनादिपुर गाँव को पूर्व की भाँति श्यामपुर पंचायत का राजस्व गाँव बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मिलिंग हेतु प्रति क्विंटल रुपया बढ़ाना

*470. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड सहित बिहार के सभी प्रखंडों में पैक्सों को धान की मिलिंग हेतु प्रति क्विंटल केवल 10 रुपया दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मिलिंग हेतु प्रति क्विंटल केवल 10 रुपये आज के समय के अनुसार काफी कम राशि है, जिसके कारण पैक्स मिल ज्यादा रूचि नहीं दिखाते है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक फारबिसगंज प्रखंड सहित बिहार के सभी प्रखण्डों में पैक्सों को मिलिंग हेतु प्रति क्विंटल रुपया बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*471. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अंचल कोटवा अन्तर्गत जसौली-जमुनिया सरकारी (गैर-मजरूआ आम) परती जमीन है, जिसमें जसौली जमुनिया हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, आँगनबाड़ी केन्द्र एवं खेल का मैदान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त परती भूमि का रकबा लगभग 7 एकड़ है, इसके कुछ भाग में कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में जसौली-जमुनिया सरकारी परती को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*472. श्री कौशल किशोर (क्षेत्र संख्या-173 राजगीर(अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला अन्तर्गत राजगीर प्रखण्ड में अवस्थित कुण्ड की हालत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जबकि यह ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है, तो क्या सरकार राजगीर कुण्ड को जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सा अस्पताल खोलना

*473. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखण्ड रतनी फरिदपुर में अबतक पशु चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पूरे प्रखण्ड के पशुपालकों किसानों को पशुओं के होने वाली कई तरह के बीमारों का ईलाज ससमय नहीं हो पाता है, इस स्थिति में दर्जनों की संख्या में पशुओं की मृत्यु हो जाती है, जिसका घुरा प्रभाव पशुपालकों पर सीधा पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रतनी फरिदपुर प्रखंड में पशु चिकित्सा अस्पताल खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*474. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के चेवाड़ा प्रखंड के एकरामा पंचायत के वार्ड नं० 2 एकरामा रविदास टोला में पेय जल आपूर्ति हेतु 'हर घर नल-जल योजना' का कार्य लगभग 3 वर्ष पूर्व कार्य किया गया है, परन्तु संवेदक के द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किये जाने के कारण पेय जल आपूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित गाँव में पेय जल उपलब्ध कराने तथा किये गये कार्यों की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमीशन की राशि भुगतान कराना

*475. डॉ० सी०एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "कोरोना में अनाज देने वाले डीलरों को नहीं मिला पैसा" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना काल के समय के मार्जिन मनी का भुगतान शत प्रतिशत जन-वितरण प्रणाली के दुकानदारों को एकाउंट नं०, नाम, आई०एफ०एस०सी० कोड गलत रहने के कारण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त समस्याओं से निजात दिलाते हुये सारण जिला के डीलरों को कमीशन की राशि कबतक भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु एवं मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार पंचायत स्तर पर कराना

*476. सुश्री श्रेयसी सिंह (क्षेत्र संख्या-241 जमई)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पशु एवं मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं का पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण और प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में प्रत्येक वर्ष योग्य और इच्छुक किसान उक्त योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार पशु एवं मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार पंचायत स्तर पर कराकर किसानों को सूचित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की व्यवस्था एवं पानी लीक होने की समस्या को दूर करना

*477. श्री प्रकाश वीर (क्षेत्र संख्या-235 रजौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के रजौली प्रखंड में हरदिया डैम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा 90 गांवों को पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना था, जिसमें मात्र 70 गांवों को ही पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, 20 गांव में आज तक पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है साथ ही जिन गांवों में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, वहां पानी हो जाने के कारण समुचित पानी नहीं पहुँच पाता है, यदि हाँ, तो सरकार शेष बचे 20 गांवों में पेयजल की व्यवस्था एवं पानी लीक होने की समस्या को कब तक दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सब्सिडी देना

*478. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड सहित प्रदेश स्तर पर मिलेट्स की खेती पूर्व में वृहद स्तर पर की जाती थी, जो अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन एवं कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा नहीं दिये जाने से मिलेट्स का उत्पादन नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिलेट उत्पादन बढ़ावा देने हेतु मिलेट मिशन की शुरुआत करते हुये किसानों को इनपुट सब्सिडी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*479. श्री केंदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कढ़नी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कढ़नी प्रखंड में लहौरा स्थित विद्युत् शक्ति उप-केन्द्र की योजना स्वीकृत थी पर भूमि के अभाव में विद्युत् उप-केन्द्र की स्थापना नहीं की जा सकी है, यदि हाँ, तो उक्त विद्युत् उप-केन्द्र स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*480. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला मुख्यालय

प्रखंड अंतर्गत माडर पंचायत में सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हेतु प्रभु नारायण सिंह के नाम से बना पार्क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराकर मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वित करना

*481. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखंड मुख्यालय स्थित दुग्ध शीतक केन्द्र का भवन बना हुआ है। जिसे अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार दुग्ध शीतक केन्द्र कुर्था को कार्यान्वित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है। अप्रैल, 2023 के अन्त तक बल्क मिल्क कूलर स्थापित कर मई 2023 के मध्य से इसे कार्यरत करने की योजना है।

भवन निर्माण कराना

*482. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड के जगदर पंचायत के फाजिलपुर में स्थापित पशु एवं चिकित्सालय का भवन जर्जर स्थिति में है, पशु चिकित्सकों के अभाव में पशुपालक अपने पशुओं की चिकित्सा नहीं करा पाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कराते हुये पशु चिकित्सक का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय खोलना

*483. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत नये नगर निगम मोतिहारी वार्ड नं० 31 में समाहित ग्राम-पंचायत हरदिया में पूर्व निर्मित पंचायत सरकार भवन कार्य विहीन है, जबकि नगर निगम से सम्बंधित कार्य करने के लिये कोई भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत सरकार भवन में कबतक नगर निगम से सम्बंधित कार्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाली का पानी निकासी करवाना

*484. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड नम्बर 47 के अन्तर्गत पंचवटी नगर, केला मंडी बाजार समिति तक नाला-सह-सड़क का निर्माण वर्ष 2021 में कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कनीय अभियंता एवं टीकेदार की मिलीभगत से मनमानी करते हुये बिना मापी कर नाला का निर्माण किया गया है, जिससे उक्त नाला से नाला का पानी निकासी नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नाला निर्माण का जाँच कराने एवं आस-पास के सभी घरों से जल निकासी की कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*485. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभागीय आदेश संख्या 449, दिनांक 4 फरवरी, 2019 तथा 140, दिनांक 14 फरवरी, 2022 एवं आदेश संख्या 536, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, हिलसा को विभिन्न प्रखंडों में आपदा प्रभावित परिवारों एवं महादलित टोलों में चापाकल लगाने का आदेश दिया गया था परन्तु इसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये महादलित टोलों में चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का वासगीत पर्चा देना

*486. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता नगर पंचायत के इंदिरा नगर रूपौहली, वार्ड संख्या 15 में साल 1987 ई0 में नदी के कटाव से पीड़ित परिवारों को बसाया गया था, जिसे अभी तक जमीन का वासगीत पर्चा नहीं मिला है, जिसके कारण सरकार से मिलने वाला अनुदान एवं आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन परिवारों को जमीन का वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*487. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बोरिंग रोड चौराहा (हड़ताली मोड़) के बगल में विगत 25 वर्ष पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा गरीब रिकशा एवं ठेला चालकों के लिये रैन बसेरा बनाया गया था, जिसमें वे लोग रात्रि विश्राम किया करते थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि अतिक्रमण हटाओं अभियान के तहत विभाग द्वारा उक्त रैन बसेरा को तोड़ दिया गया है, जिस कारण वे आश्रयविहिन हो गये हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गरीब मजदूर रिकशा एवं ठेला चालकों के लिये जगह चिह्नित कर रैन बसेरा का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बहाल करना

*488. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट में मात्र एक अमीन पदस्थापित है, जबकि कुचायकोट में कुल 29 पंचायत है, जिसके कारण आमजन लोगों का जमीन से संबंधित समस्याओं का निराकरण ससमय नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में पंचायत के अनुपात में अमीन बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*489. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना जगदेव पथ स्थित लोहिया नगर के अधीन अपूर्वा कॉलोनी में मुख्य सड़क के डलान से श्री रमन कुमार के घर तक भू-गर्भ नाला नहीं होने से इस कॉलोनी में जल-जमाव एक गंभीर समस्या बनी हुई है तथा वहाँ के आवासियों को नरकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त कॉलोनी से जल निकासी हेतु मुख्य सड़क के डलान से श्री रमन कुमार के घर तक नाला का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण

*490. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड के रूपसपुर चमरटोली, वार्ड संख्या 3 में प्राथमिक विद्यालय, रूपसपुर चमरटोली से जालिम दास के मकान तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में न तो सड़क अच्छी है और न ही नाली की कोई व्यवस्था है जिसके कारण जल-जमाव की समस्या से पैदल चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आमजन कि समस्याओं को ध्यान में रखते हुये जल निकासी हेतु नाला एवं उक्त सड़क का निर्माण आगामी बरसात के पूर्व कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय को अतिक्रमण मुक्त करना

*491. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड मुख्यालय में स्थित पंचायत-सह-सर्वोदय पुस्तकालय जिसमें सरकारी योजना से दो कमरा भी निर्मित की जमीन को एकंगरसराय निवासी जुवैर मिया वल्द अहमद हुसैन अपने पुत्रो राजा और राजू एवं अज्ञात लोगों के साथ मिलकर 9 माह पूर्व में अतिक्रमण कर लिया गया है, इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा लिखित सूचना 9 माह पूर्व भूमि सुधार उप-समाहर्ता हिलसा (नालन्दा) को दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उप-समाहर्ता एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1352, दिनांक 8 अगस्त, 2022 द्वारा अंचलाधिकारी, एकंगरसराय को पुस्तकालय की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु पत्र दिया गया, लेकिन अभीतक अंचलाधिकारी, एकंगरसराय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुस्तकालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*492. श्री मनोज मौजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नगर निगम आरा स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दलपतपुर-चंदवा की सड़कें काफी जर्जर हो चुकी हैं तथा पानी के निकासी हेतु नाला का निर्माण नहीं होने से बरसात में स्थिति नारकीय हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कॉलोनी की सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण कर पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बाध्यता समाप्त करना

*493. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड सहित बिहार के सभी प्रखंडों में पैक्सों के अध्यक्षों को उर्वरक व्यवसाय करने हेतु कृषि या रसायन विज्ञान के स्नातक होने की बाध्यता रहने के कारण पैक्स द्वारा उर्वरक की खरीदारी नहीं किये जाने से किसानों को पैक्स से ख़ाद्य नहीं मिलता है जिससे किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फारबिसगंज प्रखंड सहित बिहार के सभी प्रखंडों में पैक्स अध्यक्षों को उर्वरक व्यवसाय हेतु कृषि या रसायन विज्ञान से स्नातक की बाध्यता समाप्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*494. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अंतर्गत वार्ड नं0-2,3,14,17 एवं 34 में जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बरसात के समय जल-जमाव रहता है, जिसके कारण आमजनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में जल-निकासी हेतु नाला का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करना

*495. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य में लागू नहीं है जबकि राज्य का आधा हिस्सा बाढ़ से एवं आधा सुखाड़ की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहती है जिससे राज्य के किसानों को इसका कुप्रकोप प्रतिवर्ष झेलना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कबतक लागू करना चाहती है, ताकि यहां के किसानों को इसका लाभ मिल सके, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सा संवर्ग का पदसोपान तैयार करना

*496. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौदा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बिहार पशु चिकित्सा सेवा का पदसोपान एवं वेतन प्रक्रम के साथ अभीतक पदों का निरूपण नहीं किया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि राज्य से सभी राजपत्रित सेवाओं का अपना पदसोपान है, परन्तु बिहार पशुचिकित्सा संवर्ग राजपत्रित (प्रीमियर सेवा) संवर्ग होने के बावजूद अभीतक पदसोपान से वंचित है ;
- (3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार पशु चिकित्सा संवर्ग का पदसोपान तैयार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राक्कलन बनाने का आदेश देना

*497. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौड़ी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, के अवर-सचिव के पत्रांक 6737, दिनांक 26 जुलाई, 2022 द्वारा नगर परिषद् हिलसा (नालंदा) के कार्यपालक पदाधिकारी को प्राचनी हलधर तालाब कालीस्थान हिलसा का सौन्दर्यीकरण एवं कौशिक नगर नाला/सड़क निर्माण का प्राक्कलन बनाने के निर्गत आदेश के उपरांत भी प्राक्कलन का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

चापाकल लगाना

*498. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड के ग्राम अल्हन परासी के दलित बस्ती में तथा हसपुरा प्रखंड में ग्राम सहसपुरा में महिला कॉलेज के पास चापाकल नहीं होने से बच्चों और बच्चियों को पानी पीने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क विकसित करना

*499. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत देव नगर पंचायत में एक भी पार्क नहीं है जिसके कारण बच्चों के साथ-साथ व्यस्क एवं वरिष्ठ नागरिकों को भी टहलने-घुमने में कठिनाइयाँ होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक देव नगर पंचायत में पार्क का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*500. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगडिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगडिया जिलान्तर्गत खगडिया रेलवे स्टेशन रोड में सड़क किनारे स्थित फुटपाथ दुकानदारों के कारण प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दुकानदारों के लिए स्थायी व्यवस्था कर आमजनता को जाम की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना को पूर्ण करना

*501. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत मानपुर ग्रामीण क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हर घर नल-जल जलापूर्ति योजना का कार्य संवेदक को दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य को संवेदक द्वारा पूर्ण नहीं किया गया एवं काफी तकनीकी अनियमितता बरती गई जिसके कारण मानपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण उक्त योजना के लाभ से वंचित है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त योजना को पूर्ण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*502. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के झिंगाकाटा इस्तमरार पंचायत अन्तर्गत ईमाम नगर ग्राम वार्ड संख्या 14 के आधे ग्रामीणों को 'नल-जल योजना' का लाभ नहीं मिलने के कारण शुद्ध पेयजल से वंचित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो झिंगाकाटा पंचायत के उक्त वार्ड में बचे लोगों के लिये 'नल जल योजना' का लाभ कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड के झिंगाकाटा पंचायत के वार्ड संख्या 14 (ईमाम टोला) में जलापूर्ति योजना कार्यरत है परंतु ईमाम नगर ग्राम के योजना से अत्यधिक दूरी पर अवस्थित होने की वजह से इस प्लांट से ईमाम नगर में जलापूर्ति नहीं दी जा रही है। इस हेतु छूटे टोलों हेतु सर्वेक्षण के दौरान ईमाम नगर ग्राम को शामिल किया गया है। छूटे हुये घरों के लिये नया योजना प्रस्तावित है। जिसका DPR तैयार किया जा रहा है।

(2) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

निर्माण करना

*503. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत रक्सौल नगर परिषद् के वार्ड नम्बर-2 एवं वार्ड नम्बर-20 में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला नहीं होने के कारण जल-जमाव की समस्या से नगरवासियों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्डों में कबतक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रधानमंत्री आवास योजना

*504. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के भगवान प्रखंड के भीठसारी पंचायत के सुर्यपुरा गाँव में रणदिबे नगर टोला में बसे हुये गरीब भूमिहीन लोगों को वासगीत का पर्चा नहीं मिलने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर बसे हुये सभी गरीब लोगों को वासगीत का पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किसानों को फसल क्षतिपूर्ति देना

*505. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला मुख्यालय नगर निगम अन्तर्गत वार्ड नम्बर 5, 6, 7, 17, 18, 19, 44, 45 का अधिकांश भाग कृषि योग्य भूमि है, जिस पर गंगा नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से किसानों की लगी फसल डूब जाती है, जिससे किसानों को प्रत्येक वर्ष नुकसान एवं आर्थिक बोझ झेलना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित वार्डों की जमीन बेगूसराय नगर निगम का हिस्सा होने के कारण यहां के किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का अनुदान नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेगूसराय नगर निगम के किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्णय को निरस्त करना

*506. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 विक्रम)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 41(5) के तहत किसी भी पैक्स प्रबंधकारिणी समिति का न्यूनतम सदस्य 7 निर्धारित किया गया है, परन्तु विक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विक्रम प्रखण्ड स्थित हैबसपुर गोना पैक्स के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 जून, 2022 को आयोजित बैठक में पैक्स सदस्यों का जाली हस्ताक्षर कर वित्तीय अनियमितता किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित पैक्स का दिनांक 23 जून, 2022 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय को निरस्त करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*507. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एक ही सर्वग नियमावली से बहाल हुये पूर्व के 1700 राजस्व कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिला में दिया गया है, जबकि विज्ञापन संख्या 06060114 द्वारा नवनियुक्ति 4325 राजस्व कर्मचारियों को पोस्टिंग गृह जिला से 300 से 500 कि०मी० दूर तक की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजस्व कर्मचारी का पद अल्प वेतनभोगी (1900 ग्रेड पे) और क्षेत्रिय चरित्र का है, इसकी वजह से दूरस्थ इलाकों में कार्य करने में राजस्व कर्मचारियों को आर्थिक, मानसिक और परिवारिक संकटों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजस्व कर्मचारियों को गृह जिला अथवा नजदीक के जिला में पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना

*508. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 07 फरवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "बलरामपुर में दूषित जल से बुझती है लोगों की प्यास, जलमीनार बढ़ा रही है शोभा" के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बलरामपुर प्रखण्ड के बलरामपुर बाजार सहित कई अन्य पंचायतों के लोग दूषित जल पीने हेतु विवश है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड में नल-जल योजना का धरातल पर काम नहीं होने एवं आठ वर्ष पूर्व लाखों रुपये खर्च कर बलरामपुर एवं प्रखण्ड मुख्यालय, तेलता में बना जलमीनार निष्क्रिय रहने से लोग आयरनयुक्त एवं अशुद्ध पानी पी रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बलरामपुर प्रखण्ड में पेयजल की समस्या दूर करते हुये खण्ड दो में वर्णित जलमीनारों को सक्रिय कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निजात दिलाना

*509. श्री कौशल किशोर (क्षेत्र संख्या-173 राजगीर(अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के अन्तर्गत विहार शरीफ शहर का दूषित नाले का पानी ग्राम-मुरौरा के सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि में लगी फसल को बर्बाद कर देती है, साथ ही दूषित पानी का निकास नहीं होने से जल-जमाव के कारण बीमारियों का खतरा बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार दूषित पानी को निकालने एवं जल-जमाव की समस्या से कबतक निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*510. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 2 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "जंग खा रही चार वेस्ट कंपोस्ट मशीन" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत रैकिंग को शीर्ष पर पहुँचाने के लिये नगर निगम पटना द्वारा पटना जिला के अजीमाबाद अंचल एवं पटना सिटी में चार वेस्ट कंपोस्ट मशीन लगाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मशीन द्वारा सुखे एवं गीले कचरा से खाद तैयार किया जाना था, परंतु आजतक मशीन चालू भी नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वेस्ट कंपोस्ट मशीन को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज बनाना

*511. श्री प्रकाश वीर (क्षेत्र संख्या-235 रजौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के रजौली अनुमंडल में बहुतायत मात्रा में आलू एवं प्याज की खेती होती है, जबकि किसानों को उपज रखने के लिये एक भी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं कराया जा सका है, तथा किसानों को उपज कोल्ड स्टोरेज के अभाव में सड़ जाता है, यदि हाँ, तो सरकार वहाँ कबतक कोल्ड स्टोरेज बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*512. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा और बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा विकसित गेहूँ के चार और मक्का के दो प्रभेद सहित 20 प्रकार के बीजों को सीड कमेटी द्वारा पिछले तीन वर्षों से मंजूरी नहीं दिये जाने के कारण राज्य के किसानों को खपत का मात्र 15 प्रतिशत बीज ही बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, और शेष 85 प्रतिशत बीज किसान निजी कंपनियों से खरीदने के लिये विवश है, यदि हाँ, तो सीड अप्रूवल कमेटी द्वारा उक्त कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित बीजों को मंजूरी नहीं दिये जाने का औचित्य क्या है ?

पाइप लाइन का विस्तार कराना

*513. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत के पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 54 में मौर्य कॉलोनी अवस्थित है, जहाँ आजादी के 75 वर्ष बाद भी पीने के पानी का पाइप नहीं बिछाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कॉलोनी में पीने का पानी के लिये पाइप लाइन का विस्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*514. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 इमरौव)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत निम्न वर्गीय लिपिकों की प्रोन्नति का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1800, दिनांक 9 जून, 2011, वित्त विभाग के पत्रांक 5838, दिनांक 22 जून, 2022, कृषि निदेशक बिहार, पटना के पत्रांक 607, दिनांक 30 जून, 2022 एवं सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 1038/2021 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में न्यायादेश प्राप्त होने के बाद भी नियमित प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक निम्नवर्गीय लिपिकों की प्रोन्नति कर उनके कोटि-वेतन आधारित कालाविधि के अनुसार वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

काबिल लगान के प्रकार से मुक्त करना

*515. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नगर परिषद् सुलतानगंज के वार्ड नंबर-19,20,26,27,28 में जमीन को काबिल लगान के प्रकार का घोषित किये जाने के कारण जमीन का मोटेशन नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जमीन को काबिल लगान के प्रकार से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दूँचा की खेती

*516. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 जनवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "यूरिया की खपत को 25 प्रतिशत तक कम करने वाले दूँचे की खेती बिहार में गायब" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने वाले दूँचा की खेती के लिये किसानों के बीच वर्ष 2019 के बाद से दूँचा के बीज का वितरण नहीं किया गया है, जबकि यूरिया का विकल्प दूँचा की खेती है, यदि हाँ, तो सरकार यूरिया के विकल्प के रूप में दूँचा की खेती को बढ़ावा देने के लिये दूँचा बीज का वितरण कबतक, कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिमार्जन का निष्पादन

*517. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कदम्बा (अ०जा०)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के सिरदला अंचल के अंचालधिकारी दाखिल-खारिज, परिमार्जन आदि कार्यों में सरकारी नियमों को दरकिनार कर समय सीमा का पालन नहीं करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि परिमार्जन केस आईडी 20223602015476, 20223602015472, 20223605015473, 20223605015433, 20223605015435, 20223605015470 सितम्बर, 2022 से अबतक निष्पादित नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये उक्त अंचल में लंबित जमीन के परिमार्जन आईडी संख्या का निष्पादन करने का विचार है, नहीं, तो क्यों ?

पुलों का निर्माण करना

*518. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सबौर कॉलेज एवं थाना के पास से रेलवे स्टेशन के समीप सबौर हाट एवं सबौर गर्ल्स स्कूल तक जाने के लिये पैदल पुल का निर्माण कराये जाने की मांग प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग से दो वर्षों से की जा रही है, परंतु अभीतक पुल का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त पुलों का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*519. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगडिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगडिया जिलान्तर्गत खगडिया शहर में रेलवे लाइन के पार अवस्थित सरकारी दफ्तर, स्कूल कॉलेज तथा आवासीय बसावट में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं, रहने के कारण यहां की सड़के हमेशा जलमग्न रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*520. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि अंचलाधिकारी द्वारा जमीन का दाखिल-खारिज की फाईले को लम्बे समय तक लम्बित रखते हुये निबटारा नहीं कर भू-स्वामी से पैसा की उगाही करते है, यदि हाँ, तो सरकार जांच कराते हुये दोषी पदाधिकारी पर दण्डात्मक कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पक्का पुल बनवाना

*521. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलाअंतर्गत महनार नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं० 19 में फतेहपुर कमाली मोहल्ला में स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित बांस के पुल से आवागमन के क्रम में आये दिन दुर्घटनाये होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बांस के पुल की जगह कबतक एक पक्का पुल बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोर का निर्माण

*522. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तैरया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तैरया विधान सभा क्षेत्र के ईशुआपुर एवं पानापुर प्रखंड मुख्यालयों में कोल्ड स्टोर का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके कारण वहां के किसानों का फसल तथा सब्जी उत्पाद के भंडारण का लाभ नहीं मिल पता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड मुख्यालय में कबतक कोल्ड स्टोर का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*523. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड के सोनखर पंचायत की दूरी नगर परिषद् कार्यालय से लगभग 100 मीटर है, जबकि नगर परिषद् से वार्ड संख्या 21 विलासपुर की दूरी लगभग तीन किलोमीटर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम पंचायत को नगर परिषद् में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*524. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय-परसा एवं दरियापुर में पशु अस्पताल का भवन नहीं है, जिससे पशुओं का इलाज कराने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में पशु अस्पताल का भवन कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती कराना

*525. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना शहरी इलाके में नमामि गंगे परियोजना के तहत ड्रेनेज कार्य हो रहे हैं जिसका कार्य प्रगति अत्यंत धीमी है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि परियोजना के क्रियान्वयन में सड़कों एवं गलियों तथा शेरशाह पथ, सुदर्शन पथ, आदि में गड्ढे किये गये हैं जिसकी मरम्मती का कार्य नहीं हो पा रहा है ;
- (3) क्या यह बात सही है कि सड़कों एवं गलियों में गड्ढे होने से आये दिन दुर्घटना होती रहती है ;
- (4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नमामि गंगा परियोजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों एवं गलियों को मरम्मती करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*526. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संशोधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के मांझा प्रखंड अंतर्गत गौसिया में स्थित पशु अस्पताल का निजी भवन नहीं होने के कारण चिकित्सकों को चिकित्सा एवं अन्य कार्यों में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार गौसिया में स्थित पशु अस्पताल हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, गौसिया, गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग के सरकारी भवन में संचालित है। उक्त पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक डा० सविता कुमारी पदस्थापित है। पशु चिकित्सालय में उक्त पशु चिकित्सक द्वारा नियमित रूप से चिकित्सा कार्य किया जा रहा है। विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 550, दिनांक 26 फरवरी, 2013 के द्वारा अपना सरकारी भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

भूमि उपलब्ध कराना

*527. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के अंचल कोटवा में जसौली पंचायत अंतर्गत घुसुकपुर पासवान टोली दलित परिवार की बस्ती विगत 50 वर्षों से अधिक समय से सड़क के किनारे सरकारी भूमि पर आवासीत है, जिस कारण इन परिवारों को सरकार की कई महत्वकांक्षी योजनाओं से वंचित होना पड़ता है ;
- (2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दलित आवासीत परिवारों को दलित/महादलित भूमि क्रय नीति के तहत भूमि खरीदकर प्रत्येक परिवार को 5-5 डी० भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*528. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन है, तथा 30 लाख मीट्रिक टन चावल तैयार करने का लक्ष्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के मिलों में अभीतक मात्र 6 लाख 41 हजार मीट्रिक टन चावल तैयार हो पायी है, अर्थात राज्य में 24 लाख मीट्रिक टन चावल तैयार नहीं हो पाया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य के भोजपुर, कटिहार, मधुबनी, पटना, शिवहर, सीवान, औरंगाबाद, सुपौल आदि जिलों की स्थिति चावल तैयार करने में सबसे ज्यादा खराब है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में लक्ष्य के अनुरूप धान खरीद तथा चावल तैयार करने में असफल पैक्स, मिलों तथा पदाधिकारी पर कार्रवाई करने तथा लक्ष्य प्राप्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*529. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड में पशु चिकित्सालय, एकंगरसराय का भवन विगत 10 वर्षों से जर्जर है एवं एक भी पशु चिकित्सक नहीं रहने के कारण पशुओं का इलाज नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु अस्पताल का जीर्णोद्धार एवं पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखण्ड में पशु चिकित्सालय, एकंगरसराय का भवन जर्जर नहीं है तथा उक्त पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/कार्यालय भवन का अनुरक्षण एवं रख-रखाव योजना में चयनित है। पशु चिकित्सालय, एकंगरसराय में पशु चिकित्सक पदस्थापित है, जिनके द्वारा चिकित्सा कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 (जुलाई-2022 से जनवरी-2023 तक) में पशु चिकित्सक द्वारा चिकित्सा-1744, बधियाकरण-33 एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्य-445 किया गया है।

आउटलेट सेंटर खोलना

*530. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के पूसा में स्थित केन्द्रीय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बीज तैयार किया जाता है एवं यहीं से बीज की बिक्री होती है, जिससे अन्य स्थानों के किसानों को बीज की खरीदारी करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार बीज बिक्री की हेतु समस्तीपुर, रोसड़ा एवं अन्य स्थानों पर आउटलेट सेंटर खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंचलाधिकारी का पदस्थापना करना

*531. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बिक्रम अंचल में विगत 4 माह से अंचलाधिकारी की पदस्थापना नहीं रहने से भूमि सम्बन्धी कार्यों में स्थानीय भू-स्वामियों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो कबतक उक्त वर्णित अंचल में अंचलाधिकारी का पदस्थापना करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अंचल से जोड़ना

*532. श्री मोती लाल प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के राजस्व गाँव अख्ता के लोग काफी कठिनाई में हैं, इसका धाना और प्रखण्ड सुप्पी में है तथा अंचल बैरगनिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त राजस्व गाँव के अंचल का कार्य कराने के लिए अंचल बैरगनिया जाने में बागमती नदी नाव से पार करना पड़ता है तथा 12 किलो मीटर की यात्रा करनी पड़ती है, पिछले दिनों नाव दुर्घटना में कई लोगों की जाने चली गई थी, जबकि सुप्पी अंचल उक्त राजस्व गाँव से मात्र 4 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राजस्व गाँव अख्ता को बैरगनिया अंचल से हटाकर सुप्पी अंचल से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 2 मार्च, 2023 (ई०) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।